न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/92

1. जगदीश बंजारा पुत्र श्री गुड्डू बंजारा, ई – 171, नियर कुम्भा सर्किल, आजाद नगर, बंजारा बस्ती भीलवाड़ा, राजस्थान।

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक ।
2. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ।

–रेस्पोडेन्ट

अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, राज. गोवंश पशु अधिनियम 1995 एवं धारा 11 (1) (ए), 11 (1) (घ), 11 (1) ई, पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, एवं धारा 429 भा.दं.सं. 1860 पुलिस थाना – शिवदासपुरा, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 578/2023

उपस्थित–

1. श्री रामप्रसाद, वकील अपीलांट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –27.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के निर्णय दिनांक 19.10.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् वाहन आर. जे. 09– जी. ए. – 7572 टाटा मोटर्स (ओपन ट्रक) को सुपुर्दगी पर दिलाये जाने बाबत पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण द्वारा दिनांक 19.10.2023 को उक्त वाहन को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के उक्त निर्णय दिनांक 19.10.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश बंजारा पुत्र श्री गुड्डू बंजारा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं उक्त वाहन को सुपुदर्गी पर प्राप्त करने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते यह कि अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र वाहन आर. जे. 09– जी. ए.– 7572 टाटा मोटर्स (ओपन ट्रक) को सुपुर्दगी पर दिलाये जाने बाबत पेश किया गया था जो कि दिनांक 19.10.2023 को न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज फरमा दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थो ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में एक एस.बी. क्रिमिनल

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

मिसलेनियस पिटिशन नम्बर–7097 / 2023 प्रस्तुत की गई थी। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.02.2024 को निर्णित करते हुए अपीलार्थी को डायरेक्शन दिये गये कि इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अन्दर माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर जिला जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये जाने पर के क्रम में अपील यहाँ प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह कि अपीलार्थी का वाहन संख्या आर. जे. 09– जी. ए. – 7572 टाटा मोटर्स (ओपन ट्रक) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 578/2023 पुलिस थाना शिवदासपुरा द्वारा दिनांक 25.08.2023 को जप्त किया गया था। अपीलार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। तथा प्रार्थी को उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकार है कि प्रार्थी के उक्त वाहन से संबंधित तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है। अब पुलिस को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थी को उक्त वाहन के अभाव में काफी परेशनीयो का सामना करना पड़ रहा है। यह कि प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना में खुले में खडा रहने से उसके टायर ट्यूब के गलने व इंजन में जंग लगने की संभावना है। यह कि प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कि जाकर विपक्षी संख्या–2 के आदेश दिनांक 19.10.2023 को अपास्त कर अपीलार्थी को उक्त वाहन आर. जे. 09 – जी.ए. –7572 टाटा मोटर्स (ओपन ट्रक) को रिलिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण का उक्त निर्णय दिनांक 19.10.2023 उचित एवं विधिसम्मत है। इसे यथावत रखते हुये अपील खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वाहन संख्या आर. जे. 09– जी. ए. – 7572 टाटा मोटर्स (ओपन ट्रक) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–578/2023 पुलिस थाना शिवदासपुरा द्वारा दिनांक 25.08.2023 को जप्त किया गया था। अपीलार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वाहन से संबंधित तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है पुलिस का उक्त वाहन की अब पुलिस को आवश्यकता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः विधिवत् निर्णय पारित करें।

संभागीय आयुक्त
(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।